राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1598/2011/जोधपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय,
वृत्त–सी, जोधपुर।
.....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स जयश्री रोडलाईन्स, जोधपुर। .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :
श्री एन.एस.राठौड़,
उप–राजकीयअभिभाषक । .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर.आर.सिंघवी,अभिभाषक । .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक :10.03.2014

निर्णय

1. अपीलार्थी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, वृत्त–सी, जोधपुर (जिसे आगे 'सशक्त अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा उक्त अपील उपायुक्त, वाणिज्यिक कर (अपील्स), जोधपुर–प्रथम (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.02.2011 के विरूद्ध पेश की गयी है तथा जो अपील संख्या 02/आरवेट/जेयूसी/2009–10 के संबंध में है तथा जिसमें अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत् आरोपित शास्ति 22,411/– को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने को विवादित किया है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 22.02.2009 को अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल (ट्रांसपोर्ट कम्पनी) पर पाये गये माल "24 बंडल एस.एस. सर्किल" (गुड्स इन ट्रांजिट) के संबंध में दस्तावेज चाहने पर, प्रत्यर्थी व्यवहारी श्री महेन्द्र बिशनोई द्वारा असमर्थता प्रकट कर, कथन किया कि उक्त माल के संबंध में संबंधित पार्टी से बिल मंगवाकर प्रस्तुत कर देंगे। लगभग दो घंटे बाद भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा उक्त कृत्य को अधिनियम की धारा 76(2)(बी) का उल्लंघन होना अवधारित कर, अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् शास्ति आरोपण की कार्यवाही प्रस्तावित कर, दिनांक 27.02.2009 को नोटिस जारी कर, पेशी दिनांक 06.03.2009 की नियत की गयी। दिनांक 27.02.2009 को ही श्री महेन्द्र विशनोई द्वारा विवादित माल के संबंध में मैसर्स रणकपुर स्टील इण्टस्ट्रीज़, बासनी द्वारा जारी बिल क्रमांक

लगातार.....2

458 दिनांक 22.02.2009 का प्रस्तुत किया गया । अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत बिल को बाद की सोच अवधारित कर, अधिनियम की धारा 76(2)(बी) का उल्लंघन होना मानकर, धारा 76(6) के तहत् शास्ति आरोपित की गयी। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर ली गयी । जिससे व्यथित होकर, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

4. अपीलार्थी सशक्त अधिकारी की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर पारित अपीलीय आदेश को अविधिक होना प्रकट कर, कथन किया कि जांच के समय माल संबंधी पूर्ण दस्तावेज प्रत्यर्थी व्यवहारी प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा था। अग्रिम अभिवाक् किया कि यही नहीं प्रस्तुत बिल जो कि दिनांक 22.02.2009 का प्रस्तुत किया गया है वह दिनांक 27.02.2009 को प्रस्तुत किया गया है जो स्पष्टतः बाद की सोच के तहत् है क्योंकि यदि प्रत्यर्थी व्यवहारी के पास उक्त बिल जांच दिनांक को ही होता तो उक्त को प्रस्तुत करने में पांच दिनों का समय नहीं लगता। अतः उक्त कृत्य स्पष्टतः अधिनियम की धारा 76(2)(बी) का उल्लंघन है। विशिष्ट रूप से कथन किया कि अधिनियम की धारा 78(2) के प्रावधान स्पष्ट करते हैं कि वक्त जांच बिल, बिल्टी व घोषणा प्ररूप 18 ए प्रस्तुत करना बाध्यकारी है। अतः ऐसी स्थिति में, माननीय शीर्ष न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत गुलजग इण्डस्ट्रीज़ **18 टैक्स अपडेट 321** में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में प्रार्थना की है कि चूंकि अपीलीय अधिकारी का आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। अतः पारित आदेश अपास्त कर, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तत अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की है।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि अधिनियम की धारा 76 के समस्त प्रावधान माल के परिवहन के दौरान ही लागू होते हैं । इस संबंध में विशिष्ट रूप से अभिवाक् किया कि जांच के समय माल वाहन में लदा हुआ नहीं था केवल माल की सुपुर्दगी केता व्यवहारी द्वारा की गयी जिसके संबंध में दस्तावेज प्राप्त करने शेष थे। विशिष्ट रूप से कथन किया कि अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा जारी नोटिस की पालना में उसी दिन अर्थात् दिनांक 27.02.2009 को ही प्रत्यर्थी व्यवहार द्वारा बिल प्रस्तुत कर दिया गया था जिसे मिथ्या व कूटरचित प्रमाणित किये बिना ही, अपीलार्थी

लगातार.....3

सशक्त अधिकारी द्वारा केवल इस आधार पर अस्वीकार कर, शास्ति आरोपित की गयी कि उक्त प्रस्तुत बिल पश्चात्वर्ती सोच के तहत् है। अपने कथन के समर्थन में **माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत मैसर्स डी.पी.मेटल्स 124 एस.टी.सी 611** को प्रोद्धरित कर, कथन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में यदि जारी नोटिस की पालना में वांच्छित/आवश्यक/चाहे गये दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये जाते हैं तो शास्ति आरोपणीय नहीं है। अपने उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर, अपीलीय आदेश की पुष्टि करने की प्रार्थना की गयी

6. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया । रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। इस संबंध में मुख्य विवादित बिन्दु यह है कि क्या जारी नोटिस दिनांक 27.02.2009 की पालना में दिनांक 27.02.2009 को ही प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज को पश्चात्वर्ती सोच होना अवधारित कर, अधिनियम की धारा 76(2)(बी) का उल्लंघन मानकर, शास्ति आरोपण उचित है ? इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अधिनियम की धारा 76 के प्रावधानानुसार धारा 76(2)(बी) के अनुसार विहित दस्तावेज नहीं होने अथवा प्रस्तुत दस्तावेजों के "मिथ्या" और "कूटरचित" होने की दशा में ही शास्ति आरोपित की जा सकती है । प्रकरण में अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा जारी नोटिस की पालना में माल से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये गये थे । यही नहीं वक्त जांच अपीलार्थी सशक्त अधिकारी को प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा इस तथ्य से भी अवगत कराया गया था कि वक्त जांच पाया गया माल किस व्यवहारी का है एवम् कहां से आया है ? अपीलार्थी सशक्त अधिकारी ने उक्त तथ्य एवम् प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा वक्त जांच माल के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने संबंधी अपना स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत कर दिया गया था, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी को उक्त दोनों तथ्यों की प्रमाणिकता की जांच कर, शास्ति आरोपित की जानी चाहिये थी जिसके अभाव में आरोपित शास्ति को विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता । इस संबधं में विशिष्ट रूप से उल्लेखनीय है कि जारी नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा विवादित माल से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये थे जो कि **माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत मैसर्स डी. पी.मेटल्स 124 एस.टी.सी. 611 में प्रतिपादित सिद्धांतों की पूर्ण रूप से पालना है । यही नहीं अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को मिथ्या एवम् कूटरचित भी प्रमाणित नहीं किया गया है ।** अतः माननीय न्यायालय के

लगातार.....4

उक्त न्यायिक दृष्टांत के आलोक में, हस्तगत प्रकरण में अधिनियम की धारा 76(2)(बी) का उल्लंघन होना यह पीठ अवधारित नहीं करती है । फलस्वरूप, पारित अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाकर, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है ।

7. परिणामतः, अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाकर, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है ।

8. निर्णय सुनाया गया ।

10.3.2014

(मदन लाल)
सदस्य